मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद

(पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन गठित पंजीकृत संस्था)

59. द्वितीय दल नर्मदा भवन अरेरा हिल्स भोपाल (म.प्र)

क्रमाक 3754 /एनआर-18/स्टोर/19 भोपाल,दिनांक 30/08/19

प्रति,

प्रबंध संचालक,
मध्यप्रदेश माध्यम,
भोपाल ,म.प्र

विषयः—निविदा आमंत्रण को प्रकाशित किये जाने बाबत्।

मध्य प्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद, भोपाल कार्यालय में आऊटसोर्स कर्मियों की व्यवस्था हेतु मनरेगा द्वारा निविदा आमंत्रित की जा रही हैं। निविदा सूचना क्रमांक 3755 दिनांक 30/08 /2019 इस पत्र के साथ संलग्न की जा रही है। कृपया संलग्न संक्षिप्त निविदा सूचना, प्रदेश स्तर के 02 समाचार पत्रों में प्रकाशित करने का कष्ट करें।

संलग्नः—उपरोक्तानुसार

(डॉ. फटिंग राहुल हरिदास)
अति.मु.कार्य.अधिकारी
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद्

30-8-19

मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद्

59,द्वितीय तल, नर्मदा भवन, अरेरा हिल्स भोपाल (म.प्र.)

क्रमांक 3755 भोपाल दिनांक 30/8/2019

निविदा आमंत्रण सूचना

मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद मुख्यालय, भोपाल हेतु निविदा के साथ संलग्न निर्धारित शर्तों के अधीन निम्नानुसार आउटसोर्स कर्मियों की सेवाये उपलब्ध कराने हेतु एजेंसियों से मुहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती है :-

क्र.	कार्य का संक्षिप्त विवरण	अनुमानित संख्या *	वांछित शैक्षणिक/ योग्यता	अनुभव	न्यूनतम वेतन
1	उच्च कुशल अनुभवी कम्प्यूटर ऑपरेटर	10	स्नातक डिग्री के साथ मान्यता प्राप्त संस्था से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन (पीजीडीसीए) + CPCT उत्तीर्ण + कम्प्यूटर में एम. एस.ऑफिस (वर्ड, एक्सल, पॉवर प्वाईट) हिन्दी एवं अंग्रेजी मुद्रलेखन तथा इंटरनेट कार्य में कुशल होना आवश्यक है।	किसी भी शासकीय/ अशासकीय कार्यालय में न्यूनतम 2–3 वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है।	प्रचलित कलेक्टर दर (उच्च कुशल)
2	कुशल अनुभवी डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	15	न्यूनतम हायर सेकेंडरी एवं कम्प्यूटर में एम.एस. ऑफिस (वर्ड, एक्सल, पॉवर प्वाईट) हिन्दी एवं अंग्रेजी मुद्रलेखन तथा इंटरनेट कार्य में कुशल होना आवश्यक है।	किसी भी शासकीय/ अशासकीय कार्यालय मे न्यूनतम 2–3 वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है।	प्रचलित कलेक्टर दर (कुशल)
3	वाहन चालक	08	आठवीं परीक्षा उत्तीर्ण तथा वाहन चालक का वैध कॉमर्शियल लाईसेंस होना आवश्यक है।	किसी भी शासकीय/ अशासकीय कार्यालय में न्यूनतम 01 वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है।	(कुशल)
4	भृत्य	28	कार्यालयीन कार्यो में सहायक के रूप में कार्य करने की क्षमता।	–"–	(अकुशल)
5	चौकीदार	05	आठवीं परीक्षा उत्तीर्ण तथा कार्यालय कार्यो की सुरक्षा व्यवस्था कार्य करने की क्षमता।	–"–	(अकुशल)

1. **निविदा प्रपत्र का मूल्यः– रू. 2,000/–(रूपये दो हजार मात्र)**
2. **निविदा फार्म जमा करने की अंतिम तिथि :– दिनांक 20.09.19 अपरान्ह 3:00 बजे तक।**
3. निविदा प्रांरूप में निविदा प्रस्तुत करने हेतु निविदाकारों की वांछित अर्हताओं सम्बन्धी जानकारी एवं अन्य शर्ते दी गई है। निविदा प्रपत्र कार्यालयीन समय में परिषद मुख्यालय कार्यालय से दिनांक **19/09/2019** तक कार्यालीन समय 5:00 बजे तक में राशि रू. 2,000/–का नगद अथवा डिमान्ड ड्राफ्ट (जो म. प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद भोपाल को देय हो) के माध्यम से भुगतान कर प्राप्त किये जा सकते है। निविदा परिषद की बेवसाईट **www.nregs-mp.org / www.prd.mp.gov.in** पर अंकित है। निविदा इस बेवसाईट से डाउनलोड की जा सकती है। यदि डाउनलोड फार्म को उपयोग में लाया जाता है तो भी रू. 2,000/– का डी.डी.लगाना अनिवार्य होगा। इस राशि के बिना निविदा अमान्य कर दी जायेगी। यह डी.डी. तकनीकी निविदा के लिफाफे में ही रखी जाये।
4. **प्राप्त तकनीकी निविदा लिफाफे में दिनांक 20.09.19 को अपरान्ह 3:15 बजे निविदाकर्ता अथवा उनके प्रतिनिधियों के समक्ष खोले जाएगें एवं पात्र फर्मो के प्रतिनिधियों के समक्ष वित्तीय निविदायें दिनांक 20.09.19 को अपरान्ह 4:00 बजे खोली जायेंगी।**

*** अनुमानित संख्या कम अधिक हो सकती हैं। अंतिम निर्णय परिषद का होगा।**

अति.मु.कार्य.अधिकारी

दैनिक भास्कर, भोपाल, शनिवार 31 अगस्त, 2019

मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद्

59, द्वितीय तल, नर्मदा भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.)

क्रमांक : 3755 भोपाल, दिनांक : 30.08.2019

निविदा आमंत्रण सूचना

मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद् मुख्यालय, भोपाल हेतु निविदा के साथ संलग्न निर्धारित शर्तों के अधीन निम्नानुसार आउटसोर्स कर्मियों की सेवायें उपलब्ध कराने हेतु एजेंसियों से मुहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं :-

क्र.	कार्य का संक्षिप्त विवरण	अनुमानित संख्या *	वांछित शैक्षणिक/योग्यता	अनुभव	न्यूनतम वेतन
1	उच्च कुशल अनुभवी कम्प्यूटर ऑपरेटर	10	स्नातक डिग्री के साथ मान्यता प्राप्त संस्था से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन (पीजीडीसीए)+CPCT उत्तीर्ण+कम्प्यूटर में एम.एस. ऑफिस (वर्ड, एक्सल, पॉवर प्वाईंट) हिन्दी एवं अंग्रेजी मुद्रलेखन तथा इंटरनेट कार्य में कुशल होना आवश्यक है।	किसी भी शासकीय/अशासकीय कार्यालय में न्यूनतम 2-3 वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है।	प्रचलित कलेक्टर दर (उच्च कुशल)
2	कुशल अनुभवी डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	15	न्यूनतम हायर सेकेंडरी एवं कम्प्यूटर में एम.एस. ऑफिस (वर्ड, एक्सल, पॉवर प्वाईंट) हिन्दी एवं अंग्रेजी मुद्रलेखन तथा इंटरनेट कार्य में कुशल होना आवश्यक है।	किसी भी शासकीय/अशासकीय कार्यालय में न्यूनतम 2-3 वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है।	प्रचलित कलेक्टर दर (कुशल)
3	वाहन चालक	08	आठवीं परीक्षा उत्तीर्ण तथा वाहन चालक का वैध कॉमर्शियल लाईसेंस होना आवश्यक है।	किसी भी शासकीय/अशासकीय कार्यालय में न्यूनतम 01 वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है।	(कुशल)
4	भृत्य	28	कार्यालयीन कार्यों में सहायक के रूप में कार्य करने की क्षमता।	-"-	(अकुशल)
5	चौकीदार	05	आठवीं परीक्षा उत्तीर्ण तथा कार्यालय कार्यों की सुरक्षा व्यवस्था कार्य करने की क्षमता।	-"-	(अकुशल)

1. निविदा प्रपत्र का मूल्य : रु. 2,000/- (रुपये दो हजार मात्र) 2. निविदा फार्म जमा करने की अंतिम तिथि : दिनांक 20.09.2019 अपरान्ह 3.00 बजे तक। 3. निविदा प्रारूप में निविदा प्रस्तुत करने हेतु निविदाकारों की वांछित अर्हताओं सम्बन्धी जानकारी एवं अन्य शर्तें दी गई हैं। निविदा प्रपत्र कार्यालयीन समय में परिषद् मुख्यालय कार्यालय से दिनांक 19.09.2019 तक कार्यालीन समय 5.00 बजे तक राशि रु. 2,000/- का नगद अथवा डिमान्ड ड्राफ्ट (जो **म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद्, भोपाल** को देय हो) के माध्यम से भुगतान कर प्राप्त किये जा सकते हैं। निविदा परिषद् की वेबसाइट **www.nregs-mp.org/www.prd.mp.gov.in** पर अंकित है। निविदा इस वेबसाइट से डाउनलोड की जा सकती है। यदि डाउनलोड फार्म को उपयोग में लाया जाता है तो भी रु. 2,000/- का डी.डी. लगाना अनिवार्य होगा। इस राशि के बिना निविदा अमान्य कर दी जायेगी। यह डी.डी. तकनीकी निविदा के लिफाफे में ही रखी जावे। 4. प्राप्त तकनीकी निविदा लिफाफे में दिनांक 20.09.2019 को अपरान्ह 3.15 बजे निविदाकर्ता अथवा उनके प्रतिनिधियों के समक्ष खोले जायेंगे एवं पात्र फर्मों के प्रतिनिधियों के समक्ष वित्तीय निविदायें दिनांक 20.09.2019 को अपरान्ह 4.00 बजे खोली जायेंगी।

*** अनुमानित संख्या कम अधिक हो सकती हैं, अंतिम निर्णय परिषद् का होगा।**

म.प्र. माध्यम/95009/2019 **अति. मु. कार्य. अधिकारी**

नवदुनिया
भोपाल, शनिवार 31 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद्

59, द्वितीय तल, नर्मदा भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.)

क्रमांक : 3755 — भोपाल, दिनांक : 30.08.2019

निविदा आमंत्रण सूचना

मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद् मुख्यालय, भोपाल हेतु निविदा के साथ संलग्न निर्धारित शर्तों के अधीन निम्नानुसार आउटसोर्स कर्मियों की सेवायें उपलब्ध कराने हेतु एजेंसियों से मुहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं :-

क्र.	कार्य का संक्षिप्त विवरण	अनुमानित संख्या *	वांछित शैक्षणिक/योग्यता	अनुभव	न्यूनतम वेतन
1	उच्च कुशल अनुभवी कम्प्यूटर ऑपरेटर	10	स्नातक डिग्री के साथ मान्यता प्राप्त संस्था से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन (पीजीडीसीए)+CPCT उत्तीर्ण+कम्प्यूटर में एम.एस. ऑफिस (वर्ड, एक्सल, पॉवर प्वाईट) हिन्दी एवं अंग्रेजी मुद्रलेखन तथा इंटरनेट कार्य में कुशल होना आवश्यक है।	किसी भी शासकीय/अशासकीय कार्यालय में न्यूनतम 2-3 वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है।	प्रचलित कलेक्टर दर (उच्च कुशल)
2	कुशल अनुभवी डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	15	न्यूनतम हायर सेकेंडरी एवं कम्प्यूटर में एम.एस. ऑफिस (वर्ड, एक्सल, पॉवर प्वाईट) हिन्दी एवं अंग्रेजी मुद्रलेखन तथा इंटरनेट कार्य में कुशल होना आवश्यक है।	किसी भी शासकीय/अशासकीय कार्यालय में न्यूनतम 2-3 वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है।	प्रचलित कलेक्टर दर (कुशल)
3	वाहन चालक	08	आठवीं परीक्षा उत्तीर्ण तथा वाहन चालक का वैध कॉमर्शियल लाईसेंस होना आवश्यक है।	किसी भी शासकीय/अशासकीय कार्यालय में न्यूनतम 01 वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है।	(कुशल)
4	भृत्य	28	कार्यालयीन कार्यों में सहायक के रूप में कार्य करने की क्षमता।	-"-	(अकुशल)
5	चौकीदार	05	आठवीं परीक्षा उत्तीर्ण तथा कार्यालय कार्यों की सुरक्षा व्यवस्था कार्य करने की क्षमता।	-"-	(अकुशल)

1. **निविदा प्रपत्र का मूल्य : रु. 2,000/- (रुपये दो हजार मात्र) 2. निविदा फार्म जमा करने की अंतिम तिथि : दिनांक 20.09.2019 अपरान्ह 3.00 बजे तक।** 3. निविदा प्रारूप में निविदा प्रस्तुत करने हेतु निविदाकारों की वांछित अर्हताओं सम्बन्धी जानकारी एवं अन्य शर्तें दी गई हैं। निविदा प्रपत्र कार्यालयीन समय में परिषद् मुख्यालय कार्यालय से दिनांक 19.09.2019 तक कार्यालीन समय 5.00 बजे तक राशि रु. 2,000/- का नगद अथवा डिमान्ड ड्राफ्ट (जो **म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद्, भोपाल** को देय हो) के माध्यम से भुगतान कर प्राप्त किये जा सकते हैं। निविदा परिषद् की वेबसाइट **www.nregs-mp.org/www.pri3.mp.gov.in** पर अंकित है। निविदा इस वेबसाइट से डाउनलोड की जा सकती है। यदि डाउनलोड फार्म को उपयोग में लाया जाता है तो भी रु. 2,000/- का डी.डी. लगाना अनिवार्य होगा। इस राशि के बिना निविदा अमान्य कर दी जायेगी। यह डी.डी. तकनीकी निविदा के लिफाफे में ही रखी जाये। 4. प्राप्त तकनीकी निविदा लिफाफे में दिनांक 20.09.2019 को अपरान्ह 3.15 बजे निविदाकर्ता अथवा उनके प्रतिनिधियों के समक्ष खोले जायेंगे एवं पात्र फर्मों के प्रतिनिधियों के समक्ष वित्तीय निविदायें दिनांक 20.09.2019 को अपरान्ह 4.00 बजे खोली जायेंगी।

*** अनुमानित संख्या कम अधिक हो सकती है, अंतिम निर्णय परिषद् का होगा।**

म.प्र. माध्यम/95009/2019

अति. मु. कार्य. अधिकारी

मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद्

59,द्वितीय तल, नर्मदा भवन, अरेरा हिल्स भोपाल (म.प्र.)

निविदा प्रपत्र

उच्च कुशल कम्प्युटर ऑपरेटर/कुशल डाटा एन्ट्री ऑपरेटर/वाहन चालक/भृत्य/चौकीदार हेतु

पत्र कमांक .... दिनांक ....

अति.मु.कार्य.अधिकारी
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद
भोपाल

कार्यालय–आयुक्त
मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद् भोपाल

<u>मासिक दर पर उच्च कुशल एवं अनुभवी कम्प्यूटर ऑपरेटर/ कुशल एवं अनुभवी डाटा एन्ट्री ऑपरेटर /वाहन चालक/भृत्य/चौकीदार हेतु निविदा की शर्तें</u>

1. <u>निविदा–प्रपत्र का मूल्य एवं बिक्री :–</u>

1.1. निविदा प्रपत्र कार्यालय संयुक्त आयुक्त (प्रशासन) म. प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद् मुख्यालय भोपाल से दिनांक 19-09-19 कार्यालयीन समय 5:00 बजे तक रू. 2,000/–(रूपये दो हजार मात्र) नगद अथवा डिमान्ड ड्राफ्ट जो मप्र राज्य रोजगार गारंटी परिषद्, भोपाल को देय हो, के माध्यम से भुगतान कर क्रय किया जा सकता है।

1.2. निविदा प्रपत्र के साथ निम्नलिखित वांछित दस्तावेजों की सुस्पष्ट/पठनीय प्रमाणित छायाप्रतियां क्रमबद्ध संलग्न करना अनिवार्य है :–

i संस्था "फर्म" होने पर पंजीयक फर्म एवं सोसायटी एवं कम्पनी की दशा में रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज द्वारा जारी वैध पंजीयन।

ii प्रोपराईटरशिप का प्रमाण –पत्र।

iii कर्मचारी बीमा निगम (ई.एस.आई.सी.) का वैध पंजीयन तथा **वैधानिक दायित्वों की पूर्ति संबधी प्रमाण (वर्तमान में कम से कम 100 कर्मचारियों का चालान जमा करने का प्रमाण)।**

iv कर्मचारी भविष्य निधि (ई.पी.एफ.) का वैध पंजीयन तथा क्षेत्रीय या उपक्षेत्रीय कार्यालय द्वारा जारी पिछले वर्ष जमा राशि का प्रमाण–पत्र **(वर्तमान में कम से कम 100 कर्मचारियों का चालान जमा करने का प्रमाण)।**

v श्रम आयुक्त म.प्र. द्वारा जारी वैध एवं उपयुक्त लेबर लाईसेंस।

vi स्थायी खाता कमांक / नं0 (PAN) तथा पिछले वर्ष प्रस्तुत रिटर्न अथवा टेक्स क्लीयरेंस प्रमाण–पत्र की प्रमाणित छायाप्रति।

vii **वस्तु एवं सेवा कर (GST) का पंजीयन की प्रमाणित छायाप्रति।** गत माह की रिर्टन की प्रति।

viii उक्त दस्तावेजों क्र. (i) से (vii) के दस्तावेजों के सत्यता/वैधता के संबंध में फर्म के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित एवं यह स्पष्ट उल्लेख हो कि उक्त दस्तावेज पूर्णतः सत्य एवं सही है।

1.3 **<u>आवश्यक अर्हतायें :–</u>**

i. निविदत्त कार्य **का** कार्य संपादन का अनुभव **अथवा** सेवा प्रदाय का कम से कम 3 वर्ष का अनुभव प्रमाण–पत्र।

ii. भागीदारी संस्था होने पर भागीदारी प्रपत्र का वैध पंजीयन।

iii कम से कम 10 **उच्च कुशल एवं अनुभवी कम्प्युटर ऑपरेटर/** 15 **कुशल एवं अनुभवी डाटा एन्ट्री ऑपरेटर,** 10 वाहन चालक एवं 30 भृत्य/चौकीदार प्रदाय करने की क्षमता हेतु आधार संबंधी दस्तावेज।

iv संस्था का पिछले वर्ष का टर्न ओवर कम से कम रू. 1,00,00,000/- (एक करोड़ रू.) से अधिक का होना चाहिये। टर्न ओवर के प्रमाण हेतु चार्टड एकांउट द्वारा अंकेक्षित ऑडिट रिर्पोट की प्रमाणित प्रति।

v कम्पनी के प्रकरण में मेमोरेण्डम ऑफ कम्पनीज का वैध पंजीयन।

vi किसी भी शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थान से ब्लैक लिस्टेड नहीं होना चाहिए।

अर्हता संबंधी दस्तावेज कम्पनीज अथवा संस्था के प्रकरण में कम्पनीज अथवा संस्था के नाम से व्यक्ति/भागीदार होने पर उसके नाम से ही मान्य होंगें। मुख्य कार्यपालन अधिकारी को अर्हता संबंधी दस्तावेज मान्य अथवा अमान्य किये जाने का पूर्ण अधिकार होगा।

2. धरोहर राशि :-

2.1. निविदा के साथ रू. 2,00,000/- (दो लाख रूपये मात्र) का जो राष्ट्रीयकृत बैंक तथा स्थानीय शाखा डिमाण्ड ड्राफ्ट / **एफडीआर** पर देय होगा तथा म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद, भोपाल के पक्ष में देय होगा। कंडिका 1.2 में उल्लेखित अर्हता संबंधी आवश्यक दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियों के साथ निविदा प्रस्तुत करने की विधि के अनुसार एक पृथक लिफाफे में जमा कराना आवश्यक होगा।

2.2. द्वितीय न्यूनतम दरों की निविदा को छोड़कर अन्य असफल निविदाकारों की धरोहर राशि वापस कर दी जावेगी, द्वितीय न्यूनतम दर देने वाले निविदाकार की धरोहर राशि प्रथम न्यूनतम दर की निविदा के निविदाकार से अनुबंध / कार्यादेश होने के एक माह के उपरांत वापस की जावेगी।

2.3. सफल निविदाकार द्वारा स्वीकृति की सूचना के **15 दिवस** की अवधि में अनुबंध करना आवश्यक होगा, निर्धारित अवधि में अनुबंध नहीं करने की दशा में निविदा निरस्त कर धरोहर राशि शासन के पक्ष में राजसात कर ली जावेगी तथा द्वितीय न्यूनतम दर वाले निविदाकार को अवसर प्रदान किये जाने पर विचार किया जा सकेगा । निविदाकार द्वारा आवश्यक संख्या में वॉछित कर्मियों को उपलब्ध न कराने की स्थिति मे अन्य ऐजेंसी से विभाग द्वारा स्वीकृत दर में कर्मचारी लेने हेतु स्वतंत्र होगा।

3. निविदा निम्नानुसार डाली जावे :-

3.1. **लिफाफा "अ" तकनीकी निविदा**– इस लिफाफे में धरोहर राशि की डी.डी. संलग्न कर अर्हता संबंधी दस्तावेंज रखे जाएंगे।

लिफाफा "ब" वित्तीय निविदा– इसमें वित्तीय आफ़र (दर सूची) रखी जाएगी। उक्त दोनों "अ" एवं "ब" दोनों अलग लिफाफे में जिसपर "कर्मियों की सेवा उपलब्ध कराने संबंधी निविदा" लिखा हो में सील बंद कर निविदा बॉक्स में डालना होगा।

3.2. निविदायें दिनांक 20.09.19 को दोपहर 3:00 बजे तक म.प्र.राज्य रोजगार गारंटी परिषद् भोपाल के हाल में प्राप्त/जमा की जायेंगी एवं लिफाफा "अ" दिनांक 20.09.19 को ही अपरान्ह 3:15 बजे निविदाकारों अथवा अधिकृत प्रतिनिधियो (जो कि उपस्थित रहना चाहे) के समक्ष खोली जायेगी। प्रथम लिफाफा "अ" खोलकर जांच की जायेगी। डी.डी. एवं वांछित दस्तावेजों के पूर्ण होने पर ही लिफाफा "ब" खोला जायेगा। **अनावश्यक, अस्पष्ट एवं भ्रमित करने वाले दस्तावेज कदापि न लगाएं जाएं।**

3.3. निविदा अर्हता निर्धारण होने के पश्चात् अर्हतापूर्ण करने वाले निविदाकारों की दर सूची वाला लिफाफा "ब" दिनांक 20.09.19 को सायं 4.00 बजे फर्म के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में (जो कि उपस्थित रहना चाहें) खोला जायेगा।

3.4. लिफाफा "अ"अर्थात् तकनीकी निविदा भरते समय संबंधित दस्तावेज पेजिंग कर दर्शित कम में ही सत्यापित कर संलग्न करें। वित्तीय दर भरते समय सर्विस चार्ज प्रतिशत में ही भरा जाये।

3.5. केवल उन्ही निविदाकारों की निविदा स्वीकार की जाऐगी जो संस्था के स्वामी, या पार्टनर या वैध प्रतिनिधि हो।

3.6. निविदाकार के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के सत्यापन के समय दस्तावेजों की मूल प्रतियां उपलब्ध कराना होगी।

4. निष्पादन सुरक्षा जमा :—

4.1. निविदा स्वीकृत होने पर अनुबंध के समय निविदाकार को **उच्च कुशल एवं अनुभवी कम्प्यूटर ऑपरेटर/ कुशल एवं अनुभवी** डाटा एन्ट्री ऑपरेटर, वाहन चालक / भृत्य / चौकीदार की मासिक दर के बराबर प्रति कर्मी की दर से निष्पादन सुरक्षा राशि (परफारमेन्स सिक्यूरिटी) डी.डी./**एफडीआर** के रूप में जमा करानी होगी।

4.2. निविदा स्वीकृत होने पर अनुबंध के समय निविदाकार को निविदा स्वीकृति के पश्चात 10 दिवस की अवधि में वांछित संख्या से 1.5 गुना संख्या में **कार्मिकों** के बायोडाटा एंव अर्हता सम्बन्धी आवश्यक प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रतियों के साथ **यह प्रमाण पत्र दिया जावें कि उक्त प्रकार से पर्याप्त कर्मी संस्था में उपलब्ध हैं।** प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा निविदा निरस्त मानी जावेगी एवं **धरोहर** जमा राशि राजसात कर ली जावेगी तथा द्वितीय न्यूनतम निविदा के निविदाकार को अवसर प्रदान किया जावेगा।

4.3. निष्पादन सुरक्षा जमा एवं धरोहर राशि संपूर्ण निविदा अवधि के लिए विभाग के पास जमा रहेगी। इसे सफलतापूर्वक कार्य समाप्ति के छः माह पश्चात् कर्मियों के वेतन, ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई.सी. के भुगतान सम्बन्धी विवादों (यदि कोई हो) के निराकरण एवं शासकीय करों एवं वसूली के निराकरण होने के उपरांत निविदाकार को वापस की जावेगी।

4.4. निर्धारित परफारमेन्स सिक्यूरिटी जमा नहीं कराने की स्थिति में अनुबंध नहीं किया जावेगा एवं धरोहर राशि राजसात कर ली जावेगी तथा द्वितीय न्यूनतम दर वाले निविदाकार को अवसर प्रदान किये जाने पर विचार किया जायेगा।

5. अनुबंध की अवधि :—

5.1. अनुबंध की अवधि कार्यादेश के दिनांक से एक वर्ष की होगी तथापि कार्य संतोषजनक पाये जाने पर सक्षम अधिकारी द्वारा दोनो पक्षो की सहमति से पूर्वानुसार ही यह अवधि 6 माह या नवीन निविदा जो पहले हो तक के लिये बढ़ाई जा सकेगी।

5.2. निविदाकार द्वारा अनुबंध की शर्तो, समय–समय पर जारी होने वाले शासकीय नियमों, श्रमिक अधिनियमों एवं कर प्रावधानों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा। किसी भी

प्रकार के उल्लंघन की स्थिति में अनुबंध समाप्त करने का अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा। उक्त कारणों से अनुबंध समाप्त करने की स्थिति में विभाग के पास जमा **धरोहर** राशि राजसात कर ली जायेगी । परन्तु निविदाकार अपने दायित्वों से मुक्त नहीं होगा ।

5.3. परिषद् को अधिकार होगा कि वह बिना कोई कारण दर्शाये भी एक माह का लिखित नोटिस देकर अनुबंध समाप्त कर सकेगा।

6. **निविदाकार को उच्च कुशल एवं अनुभवी कम्प्यूटर ऑपरेटर/ कुशल एवं अनुभवी डाटा एन्ट्री ऑपरेटर/ वाहनचालक/भृत्य/चौकीदार से संबंधित निम्नलिखित सामान्य शर्तो का पालन सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा :–**

6.1. कलेक्टर द्वारा निर्धारित दरों पर मजदूरी का भुगतान किया जायेगा। कलेक्टर दर में समय–समय पर होने वाले पुनरीक्षण के अनुरूप देय तिथि से बढी हुई दरों का भुगतान परिषद् द्वारा किया जायेगा। इसके साथ ही ई.पी.एफ/**जीएसटी** टैक्स का भुगतान परिषद् द्वारा किया जायेगा।

6.2. निविदत्त सर्विस चार्ज के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार की राशि का भुगतान नहीं किया जायेगा। शासन के नियमों के तहत करों की कटौती के अतिरिक्त शेष समस्त करों एवं देयताओं का समय पर भुगतान करने का दायित्व निविदाकार का होगा। निविदादाता द्वारा संबंधित विभाग में (ई.पी.एफ/. **जीएसटी**) जमा करने का प्रमाण (विभाग से सत्यापित) प्राप्त कर अगले माह के भुगतान के पूर्व परिषद् में जमा करना होगा।

6.3. मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद् कार्यालय में नियोजित **कार्मिकों** का निर्धारित भुगतान ठेकेदार द्वारा (ई–पेमेन्ट) के माध्यम से सीधे संबंधित कर्मी के बैंक खाते में करना होगा। भुगतान की प्रमाणित सूची ठेकेदार को अगले माह के बिल के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। ठेकेदार द्वारा संबंधित कर्मी के बैंक खाते में भुगतान जमा न करने एवं सत्यापित सूची उपलब्ध न कराने कि स्थिति में अगले माह के बिल का भुगतान परिषद द्वारा रोक दिया जायेगा जिसकी जवाबदारी **संबधित संस्था** की होगी।

6.4. **उच्च कुशल एवं अनुभवी कम्प्यूटर ऑपरेटर/ कुशल एवं अनुभवी** डाटा एन्ट्री ऑपरेटर, वाहन चालक/भृत्य/चौकीदार की निविदा प्रपत्र में उल्लेखित शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव होना अनिवार्य है। कार्य पर उपस्थित होने के पूर्व कर्मियों के आवश्यक दस्तोवजों की छायाप्रतियां मूल दस्तोवजों से सत्यापित कराना अनिवार्य होगा। परन्तु कार्य का अच्छा ज्ञान एवं अनुभव होने पर सक्षम अधिकारी द्वारा शैक्षणिक अर्हता में छूट प्रदान की जा सकेगी। अभ्यर्थी की उपयुक्तता सिम्पल टेस्ट के सम्बन्ध में संयुक्त आयुक्त (प्रशासन) का निर्णय अंतिम होगा।

6.5. कार्य पर रखे जाने के उपरांत कार्य क्षमता में कमी पाये जाने पर कर्मी को तत्काल प्रभाव से पृथक कर दिया जावेगा। **इसके संदर्भ में मनरेगा परिषद का निर्णय अंतिम होगा।**

6.6. **उच्च कुशल एवं अनुभवी कम्प्यूटर ऑपरेटर/ कुशल एवं अनुभवी** डाटा एन्ट्री ऑपरेटर को हिन्दी, अंग्रेजी टाईपिंग, एम.एस. ऑफिस,वर्ड,एक्सल,पावर प्वाइंट प्रस्तुतिकरण,

इंटरनेट, ई–मेल इत्यादि का ज्ञान होना चाहिए। वाहन चालक के पास वैध कामर्शियल ड्राइविंग लाईसेंस **एवं मेडिकल फिटनेस** होना आवश्यक हैं।

6.7. **उच्च कुशल एवं अनुभवी कम्प्यूटर ऑपरेटर/ कुशल एवं अनुभवी** डाटा एन्ट्री ऑपरेटर/ वाहन चालक/भृत्य को किसी भी दिन अर्थात् आकस्मिक स्थिति में आवश्यकता होने पर अवकाश/कार्य दिवस में बुलाया जा सकता है, जिस अधिकारी के अधीन उनकी सेवायें दी जावेंगी, उसके सम्पूर्ण निर्देशों/आदेशों का पालन उनको करना होगा।

6.8. किसी भी दिवस में डाटा एन्ट्री ऑपरेटर/वाहन चालक/भृत्य/चौकीदार की अनुपस्थिति में दूसरे व्यक्ति को भेजकर कार्य करवाना होगा। किन्हीं परिस्थितियों में यदि कोई दूसरा व्यक्ति नही भेजा गया तो जो भी कार्य बाजार से कराया जावेगा, उसका व्यय निविदाकर से वसूल किया जावेगा।

6.9. **उच्च कुशल एवं अनुभवी कम्प्यूटर ऑपरेटर/ कुशल एवं अनुभवी** डाटा एन्ट्री ऑपरेटर को कम्प्यूटर परिषद द्वारा उपलब्ध कराये जावेंगे एवं उसकी सुरक्षा एवं रख–रखाव का संपूर्ण दायित्व निविदाकार का होगा।

6.10. **उच्च कुशल एवं अनुभवी कम्प्यूटर ऑपरेटर/ कुशल एवं अनुभवी** डाटा एन्ट्री ऑपरेटर को कम्प्यूटर सुधार संबंधी प्राथमिक ज्ञान होना आवश्यक है।

6.11. **उच्च कुशल एवं अनुभवी कम्प्यूटर ऑपरेटर/ कुशल एवं अनुभवी** डाटा एन्ट्री ऑपरेटर शासकीय कार्य के अतिरिक्त अन्य कोई निजी कार्य कार्यालयीन कम्प्यूटर पर नहीं कर सकेंगे।

6.12. यदि **उच्च कुशल एवं अनुभवी कम्प्यूटर ऑपरेटर/ कुशल एवं अनुभवी** डाटा एन्ट्री ऑपरेटर/वाहन चालक का व्यवहारिक ज्ञान, कार्य क्षमता, संबंधित जानकारी प्रभारी अधिकारी द्वारा उचित नहीं पाई जाती है तो उसके स्थान पर दूसरा व्यक्ति उपलब्ध कराना होगा।

6.13.

(1) निविदाकार को गत माह का देयक अगले माह की 01 तारीख तक कार्यालय में जमा करना होगा जिसमें कर्मचारियों को भुगतान की जाने वाली राशि, इस पर शासकीय प्रावधानों/निर्धारित दरों पर EPF, ESIC तथा GST के मद में प्रमुख नियोक्ता द्वारा देय राशि को पृथक से दर्शाना होगा। उक्त देयक आवश्यक जॉचोपरान्त पारित कर शीघ्र निविदाकार को देयक भुगतान की कार्यवाही की जाएगी।

(2) **उच्च कुशल एवं अनुभवी कम्प्यूटर ऑपरेटर/ कुशल एवं अनुभवी** डाटा एन्ट्री ऑपरेटर/वाहन चालक/भृत्य/चौकीदार को समय पर एवं समुचित भुगतान करने संबंधी समस्त जवाबदारी निविदाकार की होगी। निविदाकार को समस्त कर्मियों का वेतन प्रत्येक आगामी माह की 05 तारीख तक करना अनिवार्य होगा। किसी भी कारण से कर्मियों के वेतन भुगतान में विलम्ब नहीं किया जायेगा। निविदाकार द्वारा कर्मियों के वेतन भुगतान में से कर्मचारी भविष्य निधि एवं कर्मचारी राज्य बीमा योजना की राशि नियमानुसार काटी जाकर तथा नियोक्ता अशंदान की राशि के साथ संबंधित विभाग में निर्धारित अवधि में जमा करना निविदाकार का अनिवार्य दायित्व होगा।

EPF, ESIC एवं **GST** की जमा राशि की पुष्टि हेतु संबंधित विभाग की पावती की सत्यापित प्रति देयक के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। नियुक्तिकर्ता (निविदाकार) का अंशदान कर्मियों के वेतन से नहीं काटा जायेगा। विभाग द्वारा औपचारिकताएं पूर्ण करने

अथवा किसी भी अन्य कारण से निविदाकार को भुगतान करने में विलम्ब होने पर भी कर्मियों को उक्त निर्धारित तिथि के पूर्व वेतन भुगतान करने की जवाबदारी निविदाकार की होगी। निर्धारित तिथि के पूर्व भुगतान नही होने की स्थिति मे विलम्बित अवधि के लिये रू. 100/– प्रति कर्मी प्रतिदिवस के अनुसार दण्ड अधिरोपित किया जायेगा। **उच्च कुशल एवं अनुभवी कम्प्यूटर ऑपरेटर/ कुशल एवं अनुभवी** डाटा एन्ट्री ऑपरेटर/वाहन चालक/भृत्य/चौकीदार के भुगतान के संबंध में कोई व्यक्तिगत दावा विभाग द्वारा स्वीकार नहीं किया जावेगा।

6.14. निविदाकार को भुगतान, संबंधित अधिकारी से कार्य दिवस की पुष्टि प्रमाण–पत्र प्राप्त होने पर किया जावेगा। कार्य दिवस से तात्पर्य कार्यालयीन समय से माना जावेगा।

6.15. दैनिक भुगतान की मासिक दर को संबंधित माह के दिनों से विभाजित कर निकाली जावेगी।

6.16. अनुबंध की समाप्ति उपरांत **उच्च कुशल एवं अनुभवी कम्प्यूटर ऑपरेटर/ कुशल एवं अनुभवी** डाटा एन्ट्री ऑपरेटर/वाहन चालक/भृत्य/चौकीदार का कोई भी दावा विभाग द्वारा मान्य नहीं किया जावेगा और उसकी संपूर्ण जवाबदारी निविदाकार की होगी। परंतु किसी विवाद अथवा शासकीय देय कर, करों की देय राशि शेष रहने पर निविदाकार की धरोहर राशि एवं निष्पादन सुरक्षा जमा राशि वापिस नहीं की जायेगी।

6.17. शासकीय कार्य के दौरान शासकीय दस्तावेंजो की गोपनीयता बनाये रखना **उच्च कुशल एवं अनुभवी कम्प्यूटर ऑपरेटर/ कुशल एवं अनुभवी** डाटा एन्ट्री ऑपरेटर/वाहन चालक/भृत्य/चौकीदार की जिम्मेदारी होगी इस आशय का वचन पत्र देना होगा।

6.18. न्यूनतम निविदाकार से जिन डाटा एन्ट्री ऑपरेटर/वाहन चालक/भृत्य/को कार्य पर लिया जावेगा। उन्हें एक विभागीय अधिकारी एवं एक निविदाकार/अधिकृत व्यक्ति की उपस्थिति में साक्षात्कार/इंटरव्यू देना होगा एवं सफल उम्मीदवार को ही न्यूनतम निविदाकार की दर पर लिया जावेगा। कर्मिकों को 03 दिन तक कार्य क्षमता का परीक्षण हेतु रखा जावेगा।

6.19. **उच्च कुशल एवं अनुभवी कम्प्यूटर ऑपरेटर/ कुशल एवं अनुभवी** डाटा एन्ट्री ऑपरेटर/वाहन चालक/भृत्य/चौकीदार जिसको शासकीय अथवा अर्द्धशासकीय कार्यालय या शासन के उपक्रम के कार्यालय में 1 वर्ष का कार्य करने का अनुभव होना वांछित है । **उच्च कुशल एवं अनुभवी कम्प्यूटर ऑपरेटर/ कुशल एवं अनुभवी** डाटा एन्ट्री आपरेटर तथा अन्य श्रेणियों के किसी भी कर्मी को कलेक्टर रेट से कम का भुगतान निविदाकार द्वारा नहीं किया जावेगा, यदि कम भुगतान करना पाया गया तो, बगैर सूचना के संस्था का अनुबंध समाप्त कर धरोहर राशि एवं अन्य समस्त जमा राशि राजसात कर ली जावेगी। निविदाकार को हर माह म. प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद मुख्यालय भोपाल में नियोजित कर्मचारियों को भुगतान के वाऊचर की प्रति तथा **EPF–GST** सर्विस टैक्स राशि के जमा करने के बैंक चालान की प्रमाणित छायाप्रति कार्यालय में जमा करनी होगी तथा चालान के पीछे कर्मियों की सूची अकाउंट नं. सहित प्रमाण पत्र अंकित करना अनिवार्य होगा उसके उपरांत ही आगामी माह के देयक का भुगतान किया जावेगा। साथ ही काटी गई राशि का विवरण भी

प्रस्तुत करना होगा। निविदाकार प्रत्येक माह कर्मी को उसके वेतन एवं वेतन से काटी गई राशि से अवगत कराया जावेगा।

6.20. यदि एक से अधिक निविदाकारों की समान दरें पाई जाती है तो उस स्थिति में अधिक कार्य अनुभव वाले निविदाकार को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। ऐसी स्थिति में परिषद द्वारा लिया जाने वाला निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।

6.21. अनुबंध के साथ संलग्न विशेष शर्तों का पालन किया जाना अनिवार्य रहेगा।

7. कर शास्ति एवं पक्षकारों के मध्य विवाद :–

7.1. शर्त क्रमांक 6.8 एवं 6.12 की स्थिति में वैकल्पिक व्यवस्था तत्काल करनी होगी अन्यथा रूपये 500/- की राशि प्रतिदिन, प्रतिकर्मी के हिसाब से बतौर दण्ड राशि (पेनाल्टी) वसूल की जावेगी।

7.2. इस अनुबंध के पक्षकारों के मध्य किसी विवाद की स्थिति में आयुक्त म.प्र.राज्य रोजगार गारंटी परिषद मुख्यालय, भोपाल का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।

7.3. नियमों एवं शर्तों के उल्लंघन के फलस्वरूप वसूल की गई राशि फर्म को वापस नहीं की जावेगी।

7.4. परिषद की आवश्यकता अनुसार **उच्च कुशल एवं अनुभवी कम्प्यूटर ऑपरेटर/ कुशल एवं अनुभवी** डाटा एन्ट्री ऑपरेटर/वाहन चालक/भृत्य/चौकीदार की संख्या घटाई व बढ़ाई जा सकती है।

अति.मु.कार्य.अधिकारी
म.प्र राज्य रोजगार गारंटी परिषद
मुख्यालय, भोपाल

लिफाफा "अ" में रखा जाने वाला विस्तृत विवरण–तकनीकी निविदा

(पृष्ठ संख्या अंकित की जाये)

1. संस्था का नाम : ....

2. संस्था का पता : ....

3. संस्था का प्रकार (प्रोपराईटर/पार्टनर शिप/एन.जी.ओ./या अन्य कोई हो तो स्पष्ट करें) : ....

4. संस्था प्रमुख का नाम : ....

5.	संस्था के रजिस्ट्रार/सब रजिस्ट्रार फर्म एवं सोसायटी म.प्र. में वैध पंजीयन की छायाप्रति प्रति।	: ....
6.	कर्मचारी बीमा निगम (ई.एस.आई.सी.) का वैध पंजीयन तथा पिछले 03 वर्ष का रिटर्न (2016–17/2017–18/2018–19) अथवा क्षेत्रीय अथवा उपक्षेत्रीय कार्यालय द्वारा जारी जमा राशि का प्रमाण–पत्र।	: ....
7.	कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) का वैध पंजीयन तथा पिछले वर्ष का रिटर्न अथवा क्षेत्रीय या उपक्षेत्रीय कार्यालय द्वारा जारी पिछले 03 वर्ष (2016–17/2017–18/2018–19) की जमा राशि का प्रमाण–पत्र।	: ....
8.	श्रमायुक्त, श्रम उपायुक्त, सहायक आयुक्त अथवा शासन द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी वैद्य लेबर लायसेंस।	: ....
9.	स्थाई लेखा संख्या (PAN) पिछले 03 वर्ष (2016–17/2017–18/2018–19) की विवरणी अथवा टैक्स क्लीयरेंस का प्रमाण–पत्र।	: ....
10.	वस्तु एवं सेवाकर का पंजीयन कमांक पिछले 03 वर्ष (2016–17/2017–18/2018–19) की विवरणी अथवा संबंधित कार्यालय द्वारा जारी टेक्स क्लीयरेंस का प्रमाण–पत्र।	: ....
11.	किसी शासकीय अर्द्धशासकीय अथवा शासन के किसी उपक्रम में निविदत्त कुल तीन वर्ष के अनुभव प्रमाण–पत्र।	: ....

12.	प्रोपाईटरशिप का प्रमाण–पत्र।	: ....
12.1	भागीदारी संस्था होने पर भागीदारी प्रपत्र का वैध पंजीयन एवं रजिस्ट्रार फर्म एवं सोसाइटी द्वारा जारी पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि प्रस्तुत की जाना है।	: ....
12.2	कंपनी के प्रकरण में मेमोरेंडम ऑफ कम्पनीज के वैध पंजीयन की प्रतिलिपि।	....
13.	कम से कम 25 कम्प्यूटर ऑपरेटर, 10 वाहन चालक तथा 30 भृत्य/चौकीदार प्रदाय करने की क्षमता के संबंध में आधार संबंधी दस्तावेज। (यह संख्या पृथक–पृथक हो)	: ....
14.	संस्था के पिछले 03 वर्ष (वित्तीय वर्ष (2016–17/2017–18/2018–19) का टर्न ओवर राशि रू. 1 करोड़ से अधिक होने के संबंध में प्रमाण स्वरूप चार्टर्ड एकाउण्टेंट द्वारा प्रमाणित पिछले वर्ष की बैलेंस शीट।	: ....

15. शासकीय कार्यालय का विवरण जिसका कार्य अनुभव संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है:–

क्रमांक	विभाग का नाम	विभाग का पता	अनुबंध क्रमांक	दिनांक

16. धरोहर राशि डी.डी. क्र. एवं दिनांक (D.D.संलग्न): 2,00,000/–(रूपये दो लाख मात्र)

17. बैंक का नाम एवं पता : ....

18. दिनांक : ....

19. किसी भी शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थान से कभी भी ब्लैक लिस्टेड हुए है: हॉं/नहीं

//घोषणा//

मै/हम सत्यनिष्ठा से घोषणा करते हैं कि उपर्युक्त दी गई जानकारी सत्य हैं। असत्य पाये जाने पर हमारे विरूद्ध विधिसम्मत कार्यवाही की जाये। प्रश्नाधीन निविदा में संबंधित कर्मचारियों की सेवाएं देने हेतु हम विधिक रूप से सक्षम हैं। विधिक औपचारिकतायें संस्था के पास पूर्णतः हैं।

मेरी फर्म के विरूध न्यायलय में कोई भी आपराधिक प्रकरण दर्ज नही हैं।

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर एवं सील

नोटः— कृपया अनावश्यक एवं भ्रमित करने वाले दस्तावेज संलग्न नहीं किये जाये। समस्त दस्तावेज सुस्पष्ट एवं पठनीय होना चाहिए तथा उपरोक्त विवरण के अनुसार क्रमबद्ध संलग्न होना चाहिए।

—: समान कार्य का अनुभव जानकारी पत्र :—

(लिफाफे "अ" में रखा जाये)

क्र	कार्यालय का नाम एवं पता एवं दूरभाष नं.	कब से कब तक कार्य किया	प्रदाय किये गये डाटा एन्ट्री ऑपरेटर/ड्राईवर/भृत्य (संख्या पृथक–पृथक बतावें)	कितनी राशि का कार्य किया गया	रिमार्क

नोटः— अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करें।

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर एवं सील

लिफाफा "ब" में रखा जाने वाली

वित्तीय निविदा

मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद मुख्यालय में उच्च कुशल एवं अनुभवी कम्प्यूटर ऑपरेटर / कुशल एवं अनुभवी डाटा एन्ट्री ऑपरेटर/वाहन चालक/भृत्य/चौकीदार उपलब्ध कराने हेतु वित्तीय ऑफर

स0क्र0	कार्य का विवरण	एजेंसी का सर्विस चार्ज भारित करने का प्रतिशत
1	2	3
1	उच्च कुशल एवं अनुभवी कम्प्यूटर ऑपरेटर	
2	कुशल एवं अनुभवी डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	
3	वाहन चालक	
4	भृत्य	
5	चौकीदार	

निविदाकार के हस्ताक्षर एवं सील